



2026:AHC:35722

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 14613 of 2025

Smt. Sushila Singh

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Baleshwar Prasad Yadav, Vijay Kumar
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 33

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Baleshwar Prasad Yadav and Sri Vijay Kumar, learned counsel for the writ petitioner and Sri Awadhesh Kumar Shukla, learned Standing Counsel for the State.
2. Since the counter and rejoinder affidavits have been exchanged between the parties and the rival parties do not propose to file any further affidavit, the writ petition is being decided at the admission stage.
3. The case of the writ petitioner is that she was appointed on the post of Staff Nurse on 07.06.1999 and she came to be transferred from one place to another. She was promoted on 02.03.2021 on the post of Sister and she superannuated on 30.06.2025. Prior to her retirement on 29.03.2025, a show cause notice came to be issued show causing the writ petitioner as why recovery be not made for the fixation of the pay scale to which the writ petitioner has tendered a reply on 05.04.2025, however, without considering the reply so submitted by the writ petitioner on the order impugned dated 29.08.2025 came to be passed by Chief Medical Superintendent, Government BP Hospital, Prayagraj.
4. Questioning the same, the present writ petition has been preferred.
5. Learned counsel for the writ petitioner has sought to argue that first of all no recovery could have been made particularly when the writ petitioner has not committed fraud, concealment or misrepresentation in that regard.

Further submission is that though a show cause notice came to be issued which was replied by the writ petitioner but while considering the contentions so sought to be raised now the order impugned has been passed, it is also contended that in view of the judgment in the case of **State of Punjab Vs. Rafiq Masih (White Washer), 2015 (4) SCC 334** and **Thomas Daniel Vs. State of Kerala and others, (2022) LiveLaw (SC) 438**, no recovery would have been made.

6. Learned Additional CSC while countering the submission so made by learned counsel for the writ petitioner has submitted that it is always open for the employer to correct the errors which have been jointly corrected, however, he could not dispute the fact that the contentions so raised by the writ petitioner is required to the show cause notice has not been considered.

7. I have heard the submission so made across the bar and perused the record.

8. Facts are not in issue. The writ petitioner happens to be a Group C employee who superannuated on 30.06.2025. On 29.03.2025, a show cause notice came to be issued by the third respondent on 29.3.2025 which reads as under.-

"श्रीमती गुलाब देवी, सिस्टर के पत्र दिनांक-21.02.2025 के दृष्टिगत आप दोनों की सेवापुस्तिका का अवलोकन / वेतन निर्धारण परीक्षण करने पर पाया गया कि शासनादेश संख्या-2958/पाँच-11-10एम (135)/2010 दिनांक-13.01.2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक-02.05.2011 में दिये गये निर्देशों के कम में ग्रेड वेतन 4600 के उच्चीकरण दिनांक:-01.01.2006 से आपका वेतन त्रुटिपूर्ण है, जिसके संशोधनोपरान्त पाया गया कि आप अधिक वेतन भुगतान पा रही हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 28.03.2025 तक उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपना वेतन निर्धारण/तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिखित रूप से देना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"

9. A reply was submitted by the writ petitioner on 05.04.2025 which reads as under.--

"विषय: आपके कार्यालय द्वारा मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन किये जाने के पश्चात दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारण गलत पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के क्रम में कृपया अपने कार्यालय पत्र सं० रा०क्ष०रो०चि०/सशा० वे० निधा०/सिस्टर/2024-25/476 दिनांक 24.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसमें आपके कार्यालय द्वारा मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 01.01.2006 से मेरा वेतन निर्धारण गलत पाया गया जो कि शासनादेश संख्या-2958/पाँच-11-10 एम (135)/2010 दिनांक 13.01.2011 के क्रम में गलत निर्धारित किया गया था। इसके सम्बन्ध में बिन्दुवार रपष्टीकरण निम्नलिखित है:

1. आप द्वारा श्रीमती गुलाब देवी सिस्टर के पत्र दिनांक 21.02.2025 के दृष्टिगत मेरी सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया इससे प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय में कार्यरत लिपिक द्वारा कभी भी किसी भी सेवा पुस्तिका का अवलोकन नहीं किया जाता है यदि पूर्व से किया गया होता तो शायद किसी भी कर्मचारी के पत्र का संज्ञान न लेना पड़ता।

2. आपके कार्यालय के द्वारा मुझे पत्र दिनांक 24.03.2025 को दिया गया और पत्र में कहा गया कि आप 28.03.2025 तक उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपना वेतन निर्धारण / तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिखित रूप से देना सुनिश्चित करें जबकि महोदय सर्वविदित है कि कोई भी स्टाफ सिस्टर कार्यालय के वेतन निर्धारण को नहीं जानती तो वो कैसे और किस आधार पर अपना वेतन निर्धारण कर सकती है यह तो स्वयं के कार्यालय में कार्यरत लिपिक को ही करना आता है न कि अन्य किसी कर्मचारी को।

यहाँ आपको यह भी अवगत कराना है कि जब मेरे द्वारा कार्यालय लिपिक से यह पूछा गया कि किस आधार पर मेरा वेतन गलत और श्रीमती गुलाब देवी का वेतन सही है तो उनके द्वारा नहीं बताया गया और नही मुझे गुलाब देवी की कोई भी वेतन निर्धारित प्रति दी गई जिसमें से किसी युक्ति से अपना वेतन निर्धारण करवा सकें।

मेरी सेवा पुस्तिका में शासनादेश संख्या-2958/पाँच-11-10एम (135)/2010 दिनांक 13.01.2011 के द्वारा जो भी वेतन निर्धारण किया गया है वह एकदम सही है यदि गलत है तो मुझे बताया जाय कि किस तरह से गलत है।"

10. However, on 29.08.2025, the following orders have been passed.-

"विषय:- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि आपकी सेवापुस्तिका के अनुसार आपके पूर्व तैनाती स्थान से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पाये जाने के कारण वेतन निर्धारण का परीक्षण किये जाने हेतु निदेशक (नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र०, लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०. स्वास्थ्य भवन, लखनऊ भेजा गया था। महानिदेशालय द्वारा उक्त का परीक्षण किये जाने हेतु संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध कराया गया। वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट को परीक्षण उपरान्त सही पाया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-19फ/39-एन/99 / 1454, दिनांक:-25.08.2025 द्वारा संशोधित वेतन निर्धारण एवं तुलनात्मक चार्ट के अनुसार अग्रिम-आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। महानिदेशालय के उक्त आदेश के

अनुपालन में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतानित धनराशि रु०-12,09,906.00 (रु०-बारह लाख नौ हजार नौ सौ छछठ मात्र) की वसूली की जानी है, जो आपके सेवानिवृत्ति उपरान्त भुगतान की जाने वाली ग्रेज्युटी से की जायेगी।"

11. A bare look of the order impugned would reveal that when the reply so submitted by the writ petitioner to the show cause notice has not been considered. Further it is also not forthcoming that it is the case of fraud, concealment or misrepresentation. Apart from the same, once an order for civil consequences is being passed then not only show cause notice is to be issued while seeking reply but also the reply so submitted to the show cause notice is to be considered.

12. Accordingly, the order impugned cannot be sustained. The writ petition is being decided in the following terms.-

(a) order dated 29.08.2025 passed by the third respondent, Chief Medical Superintendent, Government T.B. Hospital, Prayagraj is set aside;

(b) matter stands remitted back to the authority to pass a fresh order within a period of two months.

With the aforesaid observations, the writ petition stands **disposed of**.

February 16, 2026
Rajesh

(Vikas Budhwar,J.)